HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए 02 हत्यारोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रु0 (कुल 50 हजार रु0) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 15.02.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा 02 हत्यारोपियों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- वर्ष 2023 को अभियुक्तगण 1- भारत पुत्र बदले, 2- अंकित पुत्र रमेश निवासीगण मौहल्ला जसरूपनगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा अपने मौहल्ला निवासी बिट्टू के सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या करने के पश्चात शव को जंगल ग्राम दादरी थाना हापुड़ नगर में फेंकने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 670/2023 धारा 302, 201 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 14.10.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 15.01.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (डी.जी.सी.) व विवेचक निरीक्षक श्री नीरज कुमार एवं पैरोकार म0है0का0 241 मधु कुमारी व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 301 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।